

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की समीक्षा बैठक दिनांक 18 मार्च, 2015 का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 18 मार्च 2015 को उत्तर प्रदेश सरकार की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों का विवरण संलग्न हैं।

बैठक का शुभारम्भ करते हुए प्रमुख सचिव, समाज कल्याण ने प्रदेश में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की कम्प्यूटरीकृत ऑनलाईन प्रणाली की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। वर्ष 2012-13 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रख्यापित की गयी। शैक्षणिक सत्र 2013-14 से दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना हेतु ऑनलाईन प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी और शैक्षणिक सत्र 2014-15 में समस्त प्रकार की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन अनिवार्य किया गया।

प्रमुख सचिव, समाज कल्याण ने वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में प्रभावी व्यवस्था के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी। यह बताया गया कि वर्ष 2014-15 में शिक्षण संस्थाओं को मास्टर डाटा में सम्मिलित किये जाने की ऑनलाईन व्यवस्था लागू की गयी और सभी प्रकार की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का प्रेषण पीएफएमएस प्रणाली का प्रयोग करते हुए सीधे छात्रों के बचत बैंक खातों में राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से किया जा रहा है। वर्ष 2014-15 में कोर्स मास्टर में 152 नये पाठ्यक्रम शामिल किये गये जिससे छात्रवृत्ति के कोर्स मास्टर में शामिल कुल पाठ्यक्रम की संख्या बढ़कर 675 हो गयी। इसी प्रकार विभिन्न श्रेणी के छात्रों के लिए कोर्स मास्टर के 6886 प्रकरणों में भरी गयी फीस की भिन्न-भिन्न धनराशि की भिन्नता को दूर किया गया और 1241 प्रकरणों में पाठ्यक्रम की फीस सक्षम स्तर से अंकित करायी गयी। वर्ष 2014-15 में 21148 शिक्षण संस्थान मास्टर डाटा बेस में शामिल है।

पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना में इस वर्ष कुल 6.12 लाख छात्रों का आवेदन पत्र राज्य स्तर पर की गयी प्रारम्भिक स्कूटनी में सही पायी गयी है। इनका पीएफएमएस प्रणाली पर परीक्षण कराया जा रहा है तथा सही पाये जाने वाले खातों का जनपद स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से रि-वेरीफिकेशन कराने के बाद नियमानुसार छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान किया जा रहा है। यह प्रक्रिया मार्च माह में सम्पन्न हो जायेगी। यह बताया गया कि इस वर्ष कड़ाई से की गयी ऑनलाईन स्कूटनी के फलस्वरूप सही पाये जाने वाले छात्रों की संख्या वर्ष 2013-14 के सापेक्ष लगभग एक तिहाई रह गयी है। बड़ी संख्या में फर्जी आवेदन पत्र निरस्त भी किये गये हैं।

इसी प्रकार दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना वर्ष 2014-15 में प्रारम्भिक स्कूटनी में सही पाये गये छात्रों की संख्या लगभग 30.89 लाख है जबकि वर्ष 2013-14 में यह संख्या लगभग 41.96 लाख थी। राज्य स्तर पर किये गये कम्प्यूटरीकृत परीक्षण में 23.84 लाख आवेदन पत्र संदिग्ध पाये गये। वर्ष 2014-15 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में कुल पात्र छात्रों की संख्या वर्ष 2013-14 के सापेक्ष कम होने की संभावना है।

सम्यक स्थिति पर विस्तृत विचारोपरान्त वर्ष 2015-16 से पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये-

1. चूंकि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों का शैक्षिक सत्र भी वर्ष 2015-16 से अप्रैल माह से हो गया है, अतएव वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार आवेदन पत्र प्राप्त करने, परीक्षण करने एवं छात्रवृत्ति का भुगतान करने की कार्यवाही सभी विभागों द्वारा की जाय:-

शैक्षणिक वर्ष 2015-16 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना में कक्षा 9 व 10 तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में कक्षा 11 व 12 एवं ग्रुप 04 के पाठ्यक्रमों के छात्रों हेतु आवेदन करने से लेकर धनराशि अन्तरण करने की समय-सारिणी निम्नवत् है:-

क्र० सं०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कक्षा 10 व 12 के छात्रों के नवीनीकरण हेतु समयावधि	कक्षा 9 व 11 के नये छात्रों के आवेदन हेतु समयावधि
1	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना	15 अप्रैल से 15 मई, 2015 तक	15 अप्रैल से 15 जून, 2015 तक
2	ऑनलाईन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र/छात्राओं द्वारा ठीक किया जाना	16 मई से 25 मई, 2015 तक	16 जून से 25 जून तक
3	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 01 जून, 2015 तक	आवेदन पत्र भरने के 07 दिनों के अन्दर विलम्बतम 01 जुलाई, 2015 तक
4	शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना	15 अप्रैल से 07 जून, 2015 तक	15 अप्रैल से 07 जुलाई, 2015 तक
5	शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम एवं वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना	15 अप्रैल से 15 जून, 2015 तक	15 अप्रैल से 15 जुलाई, 2015 तक
6	एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना	16 जून से 15 जुलाई, 2015 तक	16 जुलाई से 25 अगस्त 2015 तक
7	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना	15 जुलाई, 2015 तक	25 अगस्त, 2015 तक
8	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा संदेहास्पद डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं शुद्ध डाटा के छात्रों को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना	25 जुलाई, 2015 तक	20 सितम्बर, 2015 तक
9	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना	31 जुलाई, 2015 तक	25 सितम्बर, 2015 तक
10	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	07 अगस्त, 2015 तक	30 सितम्बर, 2015 तक

11	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेंट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	15 अगस्त, 2015 तक	15 अक्टूबर, 2015 तक
----	--	-------------------	---------------------

2. इसी प्रकार दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में कक्षा 11 व 12 एवं गुप- 4 के पाठ्यक्रम के छात्रों को छोड़कर निम्नलिखित समय सारिणी की अनुसार कार्यवाही सम्पादित की जाय:-

शैक्षणिक वर्ष 2015-16 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत (कक्षा 11,12 एवं गुप 04 के पाठ्यक्रमों के छात्रों को छोड़कर) आवेदन करने से लेकर धनराशि अन्तरण करने की समय-सारिणी निम्नवत् है:-

क्र० सं०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	नवीनीकरण हेतु समयावधि	नये छात्रों के आवेदन हेतु समयावधि
1	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना	01 जुलाई से 31 जुलाई, 2015 तक	01 जुलाई से 30 सितम्बर, 2015 तक
2	ऑनलाईन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र/छात्राओं द्वारा ठीक किया जाना	01 अगस्त से 10 अगस्त तक	01 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक
3	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 17 अगस्त, 2015 तक	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर विलम्बतम 17 अक्टूबर, 2015 तक
4	शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना	01 जुलाई से 24 अगस्त, 2015 तक	01 जुलाई से 24 अक्टूबर, 2015 तक
5	शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम एवं वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना	01 जुलाई से 31 अगस्त, 2015 तक	01 जुलाई से 31 अक्टूबर, 2015 तक
6	एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना	01 सितम्बर से 15 सितम्बर, 2015 तक	01 नवम्बर से 15 नवम्बर, 2015 तक
7	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना	30 सितम्बर, 2015 तक	30 नवम्बर, 2015 तक
8	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा संदेहास्पद डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं शुद्ध डाटा के छात्रों को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना	15 अक्टूबर, 2015 तक	15 दिसम्बर, 2015 तक
9	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना	20 अक्टूबर, 2015 तक	20 दिसम्बर, 2015 तक
10	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	27 अक्टूबर, 2015 तक	25 दिसम्बर, 2015 तक
11	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेंट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	30 अक्टूबर, 2015 तक	31 दिसम्बर, 2015 तक

3. पूर्व दशम (कक्षा 9 एवं 10) छात्रवृत्ति हेतु भी अनुसूचित जाति/जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए नियमावली प्रख्यापित करायी जाय। यह कार्यवाही सभी सम्बन्धित विभाग अप्रैल माह में ही पूर्ण करा लें।
4. चूंकि दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में सभी वर्ग के छात्रों हेतु समान नियम निर्धारित किये गये हैं, अतएव पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना में भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति की भांति सामान्य वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग में अभिभावकों की वार्षिक आय सामान्य रूप से रूपये 2,00,000/- करने का प्रस्ताव रखा जाय तथा सभी वर्ग के छात्रों को बजट की उपलब्धता की सीमा तक एक समान छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की जाय। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की देयता वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त अग्रनित नहीं की जायेगी।
5. पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना में भी आवश्यकता अनुसार जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा और छात्रों की वरीयता सूची उनके द्वारा प्राप्तांक के आधार पर ही बनायी जायेगी।
6. दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली में अभिभावक की वार्षिक आय को अर्हकारी बना दिया जाय तथा उसे वरीयता निर्धारण में अधिभार देने की व्यवस्था समाप्त कर दी जाय। इससे छात्रों का तहसील से फर्जी आय प्रमाण पत्र बनवाने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।
7. वरीयता कम का निर्धारण छात्रों के वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंक, पाठ्यक्रम की श्रेणी-1, 2, 3 व 4 को दी गयी अधिभार के आधार पर निर्धारित करने की व्यवस्था की जाय।
8. यदि कोई छात्र पाठ्यक्रम को अधूरा छोड़कर दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है तो उसे छात्रवृत्ति व शुल्क प्रति पूर्ति हेतु अनर्ह घोषित करने की व्यवस्था की जाय।
9. जिला विद्यालय निरीक्षक एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को भी वर्ष 2015-16 से शिक्षण संस्थान के विवरण सत्यापन हेतु डिजिटल सिग्नेचर जारी करायी जाये।
10. छात्रों द्वारा अपने समस्त प्रमाण पत्र यथा जाति, आय, अंक पत्र आदि को डिजिटल लॉकर में अपलोड कराकर सुरक्षित रखने की व्यवस्था साफ्टवेयर में की जाय।
11. माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा कक्षा 09 एवं 11 के आन लाइन पंजीकरण डाटा से छात्रवृत्ति के डाटा से कम्प्यूटरीकृत मिलान की व्यवस्था भी करा ली जाय। इस सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा परिषद सभी आवश्यक सहयोग उपलब्ध करायेंगे।
12. सभी विश्वविद्यालयों/परीक्षा प्राधिकारी द्वारा घोषित किये गये परीक्षाफल से विद्यार्थियों द्वारा भरे गये प्राप्तांक के मिलान की व्यवस्था आवश्यक होगी। इस प्रयोजनार्थ सभी विश्व विद्यालय/परीक्षा प्राधिकारी परीक्षा से सम्बन्धित डाटा निर्धारित प्रोफार्मा पर डिजिटल रूप में एनआईसी की राज्य इकाई को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
13. विश्व विद्यालय/परीक्षा प्राधिकारी नामित सक्षम अधिकारी के माध्यम से संस्थावार एवं पाठ्यक्रम वार नवीनीकरण के लिए अर्ह छात्रों के सम्मुख यह विवरण अंकित करायेंगे कि वह परीक्षा में सम्मिलित हुआ है अथवा नहीं? नामित सक्षम अधिकारी को डिजिटल सिग्नेचर जारी कराने की भी व्यवस्था सम्बन्धित विश्व विद्यालय/परीक्षा प्राधिकारी ससमय नियमानुसार करायेंगे।

14. राजस्व परिषद की वेब साइट पर आय प्रमाण पत्र में आय कालम में 'वार्षिक' शब्द भी अंकित किया जाय ताकि वहां पर सम्बन्धित व्यक्ति का वार्षिक आय ही प्रदर्शित हो और भ्रम की स्थिति नहीं रहे।

15. इसी प्रकार राजस्व परिषद की वेब साइट पर जाति प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की जाति एवं उप जाति भी प्रदर्शित करायी जाय ताकि छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने वाले व्यक्ति की जाति का मिलाने कराया जा सके।

16. राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की वेब साइट पर आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा में भी अंकित करने की व्यवस्था की जाय।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि उपरोक्त कार्यवाही सभी सम्बन्धित विभाग तत्परता से सम्पादित करें और यह सुनिश्चित किया जाय कि सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान दिसम्बर माह तक पूर्ण कर लिया जाय। इसी प्रकार योजना में गड़बड़ी कर रहे शिक्षण संस्थाओं एवं व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रभावी कार्यवाही की जाय ताकि इस योजना का संचालन पारदर्शी तरीके से हो सके।

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-861/26-3-2015
लखनऊ: दिनांक: 24 मार्च, 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
4. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
5. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
6. सचिव, अल्पसंख्यक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
8. निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
9. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
10. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
11. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. श्री आर०एच० खान, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, लखनऊ।
13. विशेष सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3


(सुनील कुमार)
24.3.15
प्रमुख सचिव